2007:सीजीएचसी:4449

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

एकल पीठ: माननीय **श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश**

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5107/2006

याचिकाकर्ता: बजाज आलियेंज़ जनरल इंश्युरेंस कंपनी लिमिटेड, शिव मोहन भवन, विधान सभा मार्ग, पंडरी, रायपुर, तहसील एवं जिला: रायपुर (छ.ग.). स्थाई पता: बाजपाई टावर के पास, राजेंद्र नगर चौक, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. श्रीमती हिरौन्दी देवी महिलांगे, उम्र लगभग 28 वर्ष, विधवा- स्वर्गीय श्री बलराम महिलांगे

2. अमित कुमार, उम्र लगभग 8 वर्ष, पिता- स्वर्गीय श्री बलराम महिलांगे

3. कुमारी नेहा, उम्र लगभग 6 वर्ष, पिता- स्वर्गीय श्री बलराम महिलांगे

4. सुमित कुमार, उम्र लगभग 3 वर्ष, पिता- स्वर्गीय श्री बलराम महिलांगे

उत्तरवादी क्रमांक 2 से 4 के नाबालिग होने के कारण उनकी नैसर्गिक संरक्षक माता उत्तरवादी क्रमांक 1 श्रीमती हिरौन्दी देवी महिलांगे, जाति- सतनामी, निवासी- मुलमुला, वर्तमान पता- जरहाभाटा, बिलासपुर, तहसील व जिला बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत रिट याचिका

उपस्थित:

श्री सचिन सिंह राजपूत, अधिवक्ता वास्ते याचिकाकर्ता
श्री रविन्द्र अग्रवाल, अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादीगण

2007:सीजीएचसी:4449

आदेश

(दिनांक 01 अक्टूबर 2007 को पारित)

1. इस याचिका में, दिनांक 01.08.2006 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसे अष्टम मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एफ.टी.सी. न्यायालय), बिलासपुर (जिसे आगे एम.ऐ.सी.टी. कहा जाएगा) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 53/2006 में पारित किया गया, जिसके द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 163(क) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन की पोषणीयता संबंधी आपत्ति को अस्वीकार कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. प्रकरण के निर्विवाद संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29.11.2005 को बलराम महीलंगे, जो हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल के स्वामी थे, उक्त मोटरसाइकिल चलाते समय एक दुर्घटना में मृत्युग्रस्त हो गए। उक्त मोटरसाइकिल, याचिकाकर्ता द्वारा जारी बीमा पॉलिसी के अंतर्गत बीमित थी, जिसके अंतर्गत तृतीय पक्ष जोखिम के अतिरिक्त, स्वामी/चालक के लिए ₹1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) तक का व्यक्तिगत दुर्घटना जोखिम कवरेज भी प्रदान किया गया था।

3. मृतक की विधवा एवं तीन नाबालिग बच्चों द्वारा अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन में यह उल्लेख नहीं किया गया था कि दुर्घटना किस प्रकार घटित हुई। क्षतिपूर्ति राशि के रूप में ₹10,80,000/- (रुपये दस लाख अस्सी हज़ार मात्र) की मांग की गई।

4. अपने लिखित कथन में, याचिकाकर्ता (बीमा कंपनी) ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए यह अभ्युक्ति की कि बीमा कंपनी की देयता केवल बीमित व्यक्ति को तृतीय पक्ष के दावों के विरुद्ध प्रतिपूर्ति प्रदान करने तक सीमित है; अतः बीमा कंपनी वाहन के स्वामी, जो

वाहन चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्युग्रस्त हो गया, के विधिक प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

5. धनराज बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, (2004) 8 एससीसी 553, के निर्णय पर अवलंब लेते हुए , मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एम.ए.सी.टी.) ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा जारी बीमा पॉलिसी में स्वामी/चालक का व्यक्तिगत दुर्घटना जोखिम भी आच्छादित था।

6. श्री सचिन सिंह राजपूत, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क का मुख्य आधार यह है कि अधिनियम की धारा 147 के अंतर्गत बीमा कंपनी की वैधानिक देयता केवल बीमित व्यक्ति को प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने तक सीमित है और वह वाहन के स्वामी/चालक के जोखिम को आच्छादित नहीं करती। जहां तक याचिकाकर्ता द्वारा बीमा पॉलिसी के अंतर्गत प्रदान किए गए व्यक्तिगत दुर्घटना जोखिम कवरेज का प्रश्न है, वह पूर्णतः एक संविदात्मक दायित्व है, जो याचिकाकर्ता एवं बीमित के मध्य था, और जिसके निवारण हेतु उपयुक्त मंच उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. बीमाकर्ता की देयता केवल तभी उत्पन्न होती है जब बीमित की देयता को बीमा अनुबंध के तहत बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के उद्देश्य से बरक़रार रखा गया हो— इस सिद्धांत के समर्थन में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनीता राठी एवं अन्य, 1998 एस.ए.आर. (सिविल) 69 पर अवलंब लिया गया है ।इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकरणों का भी याचिकाकर्ता द्वारा विविध अपील (प्रतिकर) 159/2007 में दिए गए निर्णय पर अवलंब किया गया है :- ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मीना वरियाल एवं अन्य, ए.आई.आर. 2007 एससी 1609,

धनराज बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, ए.आई.आर. 2004 एससी 4767,सहेबलाल चंद्रा एवं अन्य बनाम भूदयाल चंद्रा एवं अन्य, 2007 एल.टी. (छ.ग.) 60,बीसाहा बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2007 एल.टी. (छ.ग.) 116, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती झूमा साहा एवं अन्य, 2007 ए.आई.आर. एससीडब्ल्यू 859 : 2007 एस.ए.आर. (सिविल) 148, श्रीमती उर्मिला बाई एवं अन्य बनाम पालिसी जारी कार्यालय, शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ।

8. दूसरी ओर, श्री रविन्द्र अग्रवाल, उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने श्रीमती कुंती अहीरवार एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य, 2007 (1) एम.पी.एच.टी. 390 (युगलपीठ) पर अवलंब किया, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि यदि बीमा पॉलिसी में स्वामी का व्यक्तिगत दुर्घटना जोखिम आच्छादित है, तो वाहन के स्वामी अथवा उसके विधिक प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिकर हेतु मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एम.ए.सी.टी.) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है, बशर्ते वह पॉलिसी में वर्णित सीमा के भीतर हो। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकरणों पर भी भरोसा रखा गया: श्रीमती शीला बाई एवं अन्य बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2007 (2) एम.पी.एच.टी. 52 (छ.ग.), धनराज बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य, (2004) 8 एस.सी.सी. 553, जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि यदि वाहन स्वामी स्वयं वाहन चला रहा था और बीमा पॉलिसी में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज उपलब्ध है, तब स्वामी के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा एम.ए.सी.टी. के समक्ष दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. प्रतिद्वंदी पक्षों द्वारा प्रस्तुत किये गए तर्क पर विचार करने के पश्चात्, मेरी यह सुविचारित राय है कि इस याचिका में शामिल प्रश्न माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा

धनराज (उपरोक्त) वाद में पूरी तरह से समाहित किया गया है। उक्त निर्णय में, पैरा 8, 9 एवं 10 में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:

"8. अतः, एक बीमा पॉलिसी बीमाकर्ता द्वारा उस दायित्व को आवरण प्रदान करती है जो वाहन में लदे व्यक्ति (जिसमें माल का स्वामी अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि भी सम्मिलित है) की मृत्यु या शारीरिक क्षति अथवा किसी तृतीय पक्ष की संपत्ति को वाहन के उपयोग के कारण या उसके उपयोग से उत्पन्न होकर क्षति पहुँचने के संबंध में उत्पन्न हो। धारा 147 बीमा कंपनी को वाहन के स्वामी की मृत्यु या शारीरिक क्षति के जोखिम को वहन करने के लिए बाध्य नहीं करती।

9. ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सुनीता राठी [(1998) 1 एससीसी 365 : 1998 ऐसीजे 121] वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बीमा कंपनी की देयता केवल बीमित व्यक्ति को तृतीय पक्ष के प्रति उत्पन्न दायित्व या संपत्ति को हुई क्षति के लिए प्रतिपूर्ति करने तक सीमित होती है। अतः, जब बीमित अर्थात् वाहन स्वामी की तृतीय पक्ष के प्रति कोई देयता नहीं बनती, तब बीमा कंपनी की भी कोई देयता नहीं बनती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. वर्तमान प्रकरण में यह नहीं दर्शाया गया कि पॉलिसी में वाहन स्वामी को स्वयं हुई क्षति के जोखिम का कोई आवरण था। हम इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकते कि "स्वयं को क्षति" शीर्षक के अंतर्गत दिए गए ₹4989/- के प्रीमियम का भुगतान व्यक्तिगत चोट के लिए देनदार को कवर करने के लिए है । "स्वयं को क्षति" शीर्षक के अंतर्गत "वाहन एवं गैर विधुतीय सहायक उपकरण पर प्रीमियम" शब्द दर्शाए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि यह प्रीमियम वाहन को हुई क्षति के लिए था न कि स्वामी को व्यक्तिगत रूप से लगी चोट के लिए। एक वाहन स्वामी केवल उसी स्थिति में दावा कर

सकता है जब उसके लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लिया गया हो (मेरे द्वारा जो बल दिया गया है)। वर्तमान प्रकरण में ऐसा कोई बीमा नहीं है।"

10. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धेमराज (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण इस उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा श्रीमती शीला बाई एवं अन्य (उपर्युक्त) प्रकरण में किया गया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बीमा कंपनी की देयता केवल वाहन के स्वामी को प्रतिकर देने तक सीमित है; अतः यदि बीमा पॉलिसी में स्वामी के वाहन के उपयोग से उत्पन्न दुर्घटना के कारण स्वामी को हुई व्यक्तिगत चोट या मृत्यु को आच्छादित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है (मेरे द्वारा जो बल दिया गया है) तो ऐसी स्थिति में स्वामी के विधिक प्रतिनिधि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. श्रीमती कुंती अहीरवार एवं अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य (उपर्युक्त) में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ठीक इसी सामान की परिस्थिति पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "..... इस बात पर कोई निषेध नहीं है कि बीमाकर्ता बीमित के पक्ष में पॉलिसी जारी नहीं कर सकता। धनराज (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि वाहन का स्वामी तभी दावा कर सकता है जब उसके लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा लिया गया हो। एक बार जब बीमा पॉलिसी—एक निजता अनुबंध—स्वामी के अपने जोखिम को आच्छादित करती है, तो वह विधि विरुद्ध नहीं मानी जा सकती। यह अधिनियम के अधीन एक वैधानिक अनुबंध है। यदि वाहन का स्वामी अपनी शारीरिक चोटों के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है, तो इस बात पर जोर देने की

आवश्यकता नहीं है कि, तार्किक परिणति स्वरूप, उसके विधिक प्रतिनिधि भी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, विशेषकर जब पॉलिसी अधिनियम के अंतर्गत जारी की गई हो । पी.एन. विजयवर्गीय[1] (उपर्युक्त) के मामले में खंडपीठ ने भी यह मत व्यक्त किया कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित दुर्घटना के संदर्भ में दावा अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 165(1) में 'मोटर यान के उपयोग से उत्पन्न किसी व्यक्ति को हुई चोट' शब्दों का प्रयोग किया गया है। यद्यपि अधिनियम की धारा 147 स्वामी के लिए वैधानिक देयता को कवर नहीं करती है, हालांकि यह वाहन के मालिक पर लागू नहीं होती। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि वाहन विशेष रूप से पालिसी द्वारा कवर किया गया हो तो वाहन का स्वामी दावा प्रस्तुत कर सकता है। वर्तमान मामले में यह स्पष्ट है कि वाहन स्वामी ने अपनी स्वयं की जोखिम को आच्छादित करने के लिए व्यक्तिगत बीमा पॉलिसी ली थी। देयता ₹1,00,000/- तक सीमित है। हमें यह समझ नहीं आता कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण इस दावे को क्यों नहीं सुन सकता और विधिक प्रतिनिधियों को किसी अन्य मंच पर जाने के लिए क्यों बाध्य किया जाना चाहिए। अतः श्री नायर द्वारा उठाया गया पोश्नियता का मुद्दा स्वीकार्य नहीं है और हम उसे खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165(1) के अंतर्गत गठित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान है:

"165. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक दुर्घटना द्वावा अधिकरण (जिन्हें इस अध्याय में इसके पश्चात् दावा अधिकरण कहा गया है। ऐसे क्षेत्र

[1] न्यू इंडिया अश्युरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध पी.एन. विजयवर्गीय व अन्य, 1992 ऐसीजे 312 (एमपी)

के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है या पर-व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई हैं।

स्पष्टीकरण- शंकाओं के निराकरण के लिए यह घोषित किया जाता है कि "उल दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुठे हैं" पद के अंतर्गत धारा 140 और धारा 163 क के अधीन प्रतिकर के लिए दावे भी हैं।

13. यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जहाँ एक ओर धारा 165(1) में “किसी तृतीय पक्ष की संपत्ति को क्षति” जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, वहीं इसके विपरीत “किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक चोट” जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है — न कि “किसी तृतीय पक्ष की मृत्यु या शारीरिक चोट” । विधायिका का यह आशय स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि “तृतीय पक्ष” शब्दों को जानबूझकर हटाकर केवल “व्यक्ति” शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि इसकी परिधि में ऐसे मामलों को भी सम्मिलित किया जा सके, जिनमें बीमा कंपनी ने धारा 147 के अधीन बीमा पॉलिसी जारी करते समय कोई संविदात्मक देयता, जैसे कि स्वामी/चालक के व्यक्तिगत दुर्घटना जोखिम को आच्छादित किया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. धारा 147. पॉलिसियों की आवश्यकताएँ और देयता की सीमाएँ को निर्धारित करता है जो की उल्लेखनीय है–

(1) इस अध्याय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बीमा की वह पॉलिसी मान्य मानी

जाएगी, जो:

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो प्राधिकृत बीमाकर्ता है दी गई है; और

(ख) पालिसी में विनिर्दिष्ट व्यक्ति या वर्ग के व्यक्तियों का उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विस्तार तक निम्नलिखित के लिए बीमा करती है, अर्थात् :-

(i) उस यान का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी व्यक्ति की, जिसके अंतर्गत यान में ले जाए जाने वाले माल का स्वामी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि है, मृत्यु या शारीरिक क्षति होने अथवा किसी पर- व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की बाबत उसके द्वारा उपगत दायित्व ;

(ii) उस यान का किसी सार्वजनिक स्थान में उपयोग करने से किसी सार्वजनिक सेवा यान के किसी यात्री की मृत्यु या शारीरिक क्षति :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परंतु कोई पालिसी-(i) उस पालिसी द्वारा बीमाकृत किसी व्यक्ति के कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई मृत्यु के संबंध में अथवा ऐसे कर्मचारी की उसके नियोजन से और उसके दौरान हुई शारीरिक क्षति के संबंध में ऐसे दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी, जो किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु या उसकी शारीरिक क्षति की बाबत कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन होने वाले दायित्व से भिन्न है जो,-

(क) यान चलाने में नियोजित है; या

(ख) सार्वजनिक सेवा यान की दशा में, उस यान के कंडक्टर के रूप में, अथवा उस यान पर टिकटों की जांच करने में नियोजित है; या

(ग) माल वाहन की दशा में, उस यान में वहन किया जा रहा है; या

(ii) किसी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने के लिए अपेक्षित नहीं होगी।

स्पष्टीकरण: शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु या शारीरिक क्षति अथवा पर व्यक्ति की किसी संपति के नुकसान को इस बात के होते हुए भी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है या जिसे क्षति पहुंची है या जिस संपत्ति को नुकसान पहुंचा है वह दुर्घटना के समय सार्वजनिक स्थान में नहीं था या थी, उस दशा में सार्वजनिक स्थान में यान के उपयोग से हुआ समझा जाएगा जबकि वह कार्य या लोप, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना हुई, सार्वजनिक स्थान में हुआ था।

अधिनियम की धारा 147 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) के परंतुक के अंतर्गत यह आवश्यक नहीं है कि बीमा पॉलिसी वैधानिक रूप से किसी संविदात्मक देयता को आवरण प्रदान करे। तथापि, यदि अधिनियम की धारा 147(1) के अधीन जारी की गयी बीमा पॉलिसी व्यक्तिगत दुर्घटना जोखिम के लिए कवरेज प्रदान करती है, तो ऐसी स्थिति में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं होता, और वह अधिनियम की धारा 163-क के अंतर्गत प्रतिकर के लिए प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, याचिकाकर्ता के पक्ष में श्री सचिन सिंह राजपूत, अधिवक्ता द्वारा उठाई गई पोश्नियता का आधार विफल हो जाता है। तदनुसार याचिका को आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है ।

सहीं/-

दिलीप रावसाहेब देशमुख

न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

<u>Translated by:</u> Adv. Navdeep Agrawal

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur